जिला कलक्टर श्रीगंगानगर 65/17

**अपील सूचना अधिकार संख्या 65/2017 अनवानी श्री संदीप कुमार निवासी मकान न0 36–ए रेल्वे मण्डी होशियारपुर (पंजाब) बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**27–12–2017**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री संदीप कुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री संदीपकुमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> I want to seek information that muraba no. 40/11 in chak 17-H was allotted to Devi singh S/O Hari Singh but before 199 his allotment was rejected for some reason.
>
> I hereby want to have parawise information from your office as under:-
>
> 1. Please supply me a signed and stamped copy of the documents on which basis muraba no. 40/11 Chak 17-H was first rejected before 1-1-1992
> 2. Please inform me the name, designation and official address of the officer, issued the order of dismissing the muraba no. 40/11 in chak 17-H before 1992.
> 3- Please inform me the present status of the muraba no. 40/11 in chak 17-H

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि आपके कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं0 एफ41(5)(10)राजस्व/सूचना/ 17/ 5330 दिनांक 15.06.17 के सन्दर्भ में सूचना 45 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या एफ41(5)(13)राजस्व/सूचना/17/ 7353 दिनांक 08.09.17 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के पत्रांक 1121 दिनांक 15.06.17 से उन्हें प्राप्त हुआ था प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ व तहसीलदार, अनूपगढ द्वारा दी जानी थी इसलिए प्रार्थी का आवेदन पत्र समसंख्यक पत्र संख्या 5237–30 दिनांक 19.06.17 के द्वारा उन्हे स्थानान्तरित करते हुए सूचना उपलब्ध करवाने के लिए लिखा जाकर रजि0 पत्र प्रार्थी को भी दिया गया। उनके कार्यालय स्तर से प्रार्थी को सूचना नही दी जानी है।

लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उपजिला कलक्टर अनूपगढ एवं तहसीलदार, अनूपगढ के कार्यालय से होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र, पत्र सं0 5327–30 दिनांक 19.06.17 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें भिजवा दिया गया था। इसलिए अपीलार्थी को चाही गई सूचना के संबंध में उपजिला कलक्टर अनपूगढ एवं तहसीलदार अनूपगढ के कार्यालय में चाराजोही करनी चाहिए। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। चूंकि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ व तहसीलदार, अनूपगढ़ के कार्यालय से संबंधित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के द्वारा उनको स्थानान्तरित किया जा चुका है किन्तु उनके द्वारा सूचना के संबंध में कोई निर्णय लिया जाना प्रतीत नही होता है। इसलिए उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ व तहसीलदार, अनूपगढ़ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के आवेदन पत्र का आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर नियमानुसार निस्तारण कर प्रार्थी को सूचित करें। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र का निर्धारित अवधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर, उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ व तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2249-52
02.01.18

यह आदेश आज दिनांक 27.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर